सदन ने डाक्टरों से अपील की थी कि वह स्ट्राइक विद्ड्रा कर लें। इस सदन की अपील पर डाक्टरों ने अपनी स्ट्राइक विद्ड्रा कर ली थी। स्वास्थ्य मंत्री ने एक वचन दिया था इस सदन को कि वह इस का फैसला तुरन्त कर देंगे। पर अभी मुझे पता लगा है कि कल डाक्टरों की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी क्योंकि अब तक उनके साथ बैठकर कोई फैसला नहीं हुआ। उनके साथ जो बैठकें हो रही है उनसे कोई भी हल नहीं निकल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले इस का फैसला होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी यहां आकर बतायें कि इसका फैसला कब तक करेंगे। मुझे डर है कि यह स्ट्राइक डाक्टरों की फिर शुरू हो सकती है और कल भी जनरल बॉडी की मीटिंग में यह डिसिजन लिया गया है कि दस डाक्टर्स मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि वह यहां आकर यह बतायें कि वह इस बारे में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

SHRI JAGESH DESAI: Madam, I want to raise an important issue. FCI has released 3 lakh tonnes of ...*(Interruptions)*

उपसभापति: मुनासिब होगा आप भूपेन्द्र सिंह मान को बोलने दें क्योंकि वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। अभी क्लेरिफिकेशंस होनी हैं। **(व्यवधान)**

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश): जो सवाल अहलुवालिया जी ने उठाया है उसका ताल्लुक इस हाऊस के रेजोलूशन से है। इसलिए जो लोग इससे मुतल्लिक रहे हैं उनको एक-एक मिनट बोलने की इजाजत जरूर दें। उपेन्द्र साहब के बाद मैं भी दो अल्फाज कहूंगा। **(व्यवधान)**

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): डाक्टरों की स्ट्राइक के बारे में बोलना चाहता हूं...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yadavji, I am not permitting you. Please take your seat.

श्री राम नरेश यादव: यह सरकार पता नहीं किस तरह से हल...**(व्यवधान)**

उपसभापति: गरिमा का ध्यान रखिये। इस तरह से न बोलिए। **(व्यवधान)**

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh) : On your appeal and on the appeal of the House, the doctors have withdrawn their strike. The talks have commenced. But they are not progressing satisfactorily. Because there is a long gap between one Session and another Session, we expected that this matter would be settled before the House adjourned *sine die*. Therefore, you also kindly ask the Government to come out with a statement before the end of the Session as to what the progress has been in this regard and how the matter is being settled.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minsiter of Parliamentary Affairs is here. I will also speak to him.

श्री सिकन्दर बख्त: कम से कम इससे पहले कि इस मसले को आखिरी मंजिल तक ले आयें, न ले आयें मैं एक मालुमात करना चाहता हूं कि अब तक कितनी मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में तलखियां कम हुई हैं या बढ़ी हैं? इतना तो कम से कम हाऊस को बता देना चाहिए हैल्थ मिनिस्टर साहब को **(व्यवधान)** इतना वह बता दें कि कितनी मुलाकातें उनके साथ हुई हैं और उन मुलाकातों में हल के नजदीक पहुंचे है या दूर हो गये है? तलखियां घटी हैं या बढ़ी हैं? अहलुवालिया साहब ने खतरनाक बात कही है कि वह दुबारा स्ट्राइक करने वाले है। इसलिए हैल्थ मिनिस्टर साहब इस हाऊस को कांफिडेंस में ले।**(व्यवधान)**

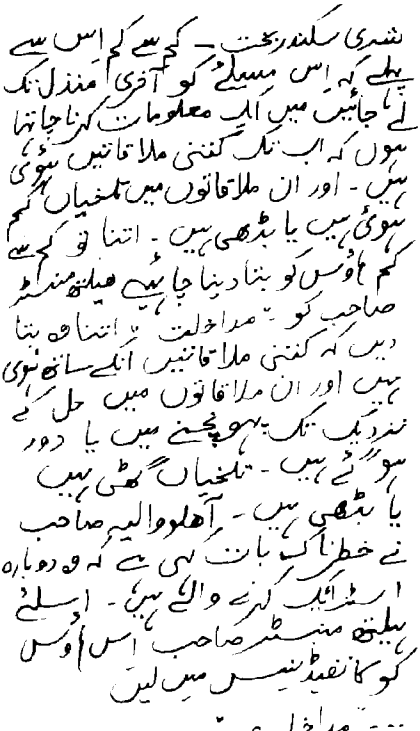

SPECIAL MENTIONS

Police excesses and suspected Police Complicity in Militant Activities in Punjab

श्री भूपेन्द्र सिंह मान (नाम-निर्देशित):—मैडम, पंजाब में बहुत ही खास घटना की बात जब आती है तो हम सभी चिन्तित होते हैं कि क्या-क्या हो रहा है। कल ही पंजाब में कुछ गांवों के किसानों के ऊपर पुलिस ने फायरिंग की और एक दिन पहले भी पुलिस ने फायरिंग की। कई लोगों को उसमें गोलियां लगीं और उनमें कुछ काफी सीरियस हैं। मसला यों है कि एक गांव में कुछ लोग लूटने के लिए जाते हैं। लोगों का कई बार यह ख्याल होता है कि पता नहीं ये लोग आतंकवादी है।

†[Transliteration in Arabic Script.]

[श्री भूपेन्द्र सिंह मान]:

लूटने के लिए कुछ शरारती लोग भी आते हैं, चोर आते हैं। कुछ लोगों के खिलाफ जब पुलिस में बाई नेम रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। इस हिसाब से लोगों को यह अन्दाजा हो जाता है कि पुलिस के लोग इन लोगों से रलै हुए हैं। कई बार यह बात भी सामने आई है कि पुलिस की वर्दी में जाकर कुछ लोगों ने लोगों को लूटा है, बर्बाद किया है और यहां तक कि इज्जत के ऊपर भी हाथ डाला है। कल ही की पंजाब में वल्लूर के पास की एक घटना है। शुरू में जब लोगों ने रिजिस्ट करने की बात की और कहा कि हम रिजिस्ट करेंगे, लूटने नहीं देंगे। उन्होंने लूटने के लिए आये लोगों को पकड़ा और उनको रोक लिया। उन्होंने कहा कि हम तुमको पुलिस के हवाले करेंगे। उनका आइडेंटिटी कार्ड देखने की बात की गई। लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। वे कुछ भी नहीं दिखा सके। उनको रोक लिया गया और जब पुलिस ने रफ्ता किया तो बजाय इसके कि पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेती, पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें कई लोगों को गोली लगी। फगवाड़ा के पास भी ऐसा ही हुआ है। लोगों ने अपनी रक्षा के लिए, सेल्फ-डिफेन्स के लिए गांवों के आस-पास लोगों की फोर्स खड़ी कर दी है और कहते हैं कि हम ठिकरी करेंगे। ठिकरी वह होती है जब 24 घंटे रात भर लोग पहरा देते हैं ताकि कोई लूटने के लिए न आ सके। बजाय इसके कि पुलिस इन बातों को एप्रिसिएट करती, उसने सेल्फ-डिफेन्स करने वालों पर गोली चलाकर उनको डिमोरेलाइज किया। यह इतनी बड़ी ज्यादती है कि पुलिस और लोगों के बीच का पाड़ा बढ़ता ही जा रहा है और यह बहुत ही खतरनाक बात है। हालत यह हो गई है कि जो पिछली रात घटना हुई उसमें जो वर्दीधारी आये थे उन्होंने एक महिला को रैप करने की बात भी की है। यह बहुत ही शर्मनाक और घिनौनी बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि लोगों को सरकार के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और खास तौर पर पुलिस के ऊपर भरोसा होना चाहिए। लोग सरकार का चेहरा पुलिस के चेहरे के बीच देखते हैं। अगर पुलिस का चेहरा कहीं कहीं भेड़िये जैसा नजर आने लगे तो यह लोगों को पुलिस और सरकार से दूर ले जाता है। इसलिए पुलिस को लोगों के सामने उस ढंग से पेश आना चाहिए जिससे लोगों की भावनायें शांत हों और ला एण्ड आर्डर मैनटैन हो। ऐसी जो घटनायें होती हैं उनके ऊपर खास एक्शन होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बिलकुल ऐसी ही बात अपने परसन से मैंने कही थी कि एक गांव में एक लड़का अपने इनलाज के पास आया और उसने कहा कि मैं यहीं रहूंगा। उसके पास एक झोला था जो कंधे पर था। उसने झोला निकाला और अपने इनलाज के घर में अपना कोट और पैन्ट उतार दिये और अपने पास से ए॰के॰ 47 गन निकाली और रात को अपना काम करने के लिए चला गया। वह कुछ दिनों के बाद फिर अपने इनलाज के पास आता है। इसमें चेहरा बदलने की बात आती है। वे कहते हैं कि हम कोट और पैन्ट उतार देंगे और झोला पहन लेंगे। अपना रूप बदल लेते हैं। इस ढंग से जब लोग करते हैं तो बजाय इसके कि पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले, कुछ नहीं करती है। हमने बाई नेम रिपोर्ट भी लिखवाई और उनको पहचान भी लिया, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात से अन्दाजा यह हो जाता है कि पुलिस को उन लोगों की पहचान होती है, लेकिन पुलिस वाले उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। शायद उसमें पुलिस की कुछ कमजोरी होती है, उनसे मिलने की बात भी होती है। यह सब बातें बहुत सीरियस हैं। इन पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बातें नहीं होनी चाहिए।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Madam, I would like to associate myself with this special mention and I would like to add further that the police behaviour, in spite of what the Governor of Punjab has been saying, continues to be very deplorable. Very recently when the only Param Vir Chakra recipient, Capt. Karam Singh, was going to attend a meeting, the police stopped him and they wanted to take away his car.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. The Special Mention which he made has nothing to do with the police. It is entirely about the strike by the farmers as a result of the sale or non-sale of fertilizers by the stockists... (*Interruptions*)...

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: You are totally wrong, Madam. It is about the police behaviour that he was talking about... (*Interruptions*)...

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: मैंने यह भी दिया था। क्योंकि मुझे स्पेशल मेंशन की कापी नहीं मिली है इसलिये मैंने

समझा कि इसी स्पेशल मेंशन की बात हो रही है। मैंने आज ही स्पेशल मेंशन दिया है। मैंने समझा कि यही स्पेशल मेंशन आज हो रहा है। यदि यह बात है तो मैं उसके बारे में भी कहना चाहूंगा।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: It is about the police behaviour...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mann, when you make a Special Mention, you kindly confine yourself to that. I want to find out why you did not get a copy from the Secretariat and why the Members did not get it from the Secretariat. They will give you. Now, I cannot permit anything else on it. Now, Shrimati Veena Verma. Not here. Yes, Mr. Rafique Alam.

Demand for the Prosecution of M/s I.T.C. Ltd. for Evasion of Central Excise Duty

SHRI RAFIQUE ALAM (Bihar): Madam, I wish to raise a vital issue which is of immense public interest because it involves a huge amount of money by way of taxes.

Madam, the Central Board of Excise and Customs has laid down certain norms for the prosecution of Central Excise evaders and the Finance Minister has confirmed in Parliament that prosecution will normally be launched against the Central Excise evaders after the adjudication proceedings are over. But, in a matter pertaining to a multinational company, M/s ITC Ltd., manufacturing cigarettes, adjudication proceedings were completed in April 1986, involving more than Rs. 100 crores. But prosecution against M/s ITC Ltd. has not yet been launched whereas in the case of other companies such as Godrej, Duncan, etc., prosecutions have already been launched. The Government should, therefore, confirm that they will implement the policy and prosecute M/s ITC Ltd.

Keeping in view the public interest involved, I would request the Chair to direct the Government to prosecute M/s ITC Ltd. and other such tax evaders.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Veena Verma.

Copyright Period of the Works of Rabindranath Tagore

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। माननीय उपसभापति महोदया, इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों पर विश्वभारती के कापीराइट अधिकार को पचास वर्ष की अवधि से आगे बढ़ाने से उत्पन्न गंभीर संकट तथा पाठकों के व्यापक हितो की अवहेलना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

किसी भी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व के लेखक की कृतियों पर उसके पाठकों का अंतिम अधिकार होता है क्योंकि कृतियां लेखक और पाठकों के बीच की कड़ी होती है और लेखकीय व्यक्ति की गरिमा इनसे जुड़ करके ही पूरी होती है। इसीलिये अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हुए बर्न समझौते के अनुसार कापीराइट ऐक्ट बनाते समय असंख्य पाठकों की भावनाओं का ख्याल रखा गया था और पचास साल बाद उसे फ्री करके बड़े पैमाने पर पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश हुई थी। इस खुलेपन का सबसे बड़ा असर कृतियों के प्रचार-प्रसार पर हुआ और इसका लाभ पाठकों को मिला।

अब जब कि रवीन्द्र साहित्य को लेकर इस ऐक्ट में संशोधन की बात चली है तो एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आया है कि सिर्फ रवीन्द्र के लिए ही क्यों? अन्य राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखकों की कृतियों को क्यों नहीं? जब कि कापीराइट ऐक्ट तो सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिये। इस परंपरा में संशोधन के पीछे समर्थकों द्वारा पेश किया जाने वाला तर्क तो और भी हास्यास्पद है। रवीन्द्र साहित्य के एक मात्र प्रतिष्ठान विश्व भारती उनके समूचे साहित्य को तीस खंडों में ग्रंथावली के रूप में छाप रही है। पर 7 अगस्त, 1991 को उसका अधिकार खत्म हो जाने के कारण उसमें लगी पूंजी और छपी पुस्तकों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। क्योंकि उनके साहित्य को देश-विदेश के प्रकाशकों द्वारा छाप कर बाजार में भर देने का खतरा है। इस स्थिति में उन्हें यह खतरा है कि बाहरी प्रकाशकों की पुस्तकें अपने नेट वर्क के चलते ज्यादा बिकेंगी और सस्ता होने के कारण पाठकों द्वारा भी खरीदी जाएंगी। ऐसे में किसी संस्थान को इस आधार पर छूट तो नहीं दी जानी चाहिये कि वह अपनी